

प्रेषक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

संख्या 593

विषय :-

/27- 59 (2008-09) जे०ए०
घनश्याम दास टण्डन सरस्वती विद्या मन्दिर कैलसा, अमरोहा को सी०बी०ए०स०इ० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि घनश्याम दास टण्डन सरस्वती विद्या
मन्दिर कैलसा, अमरोहा विद्यालय को सी०बी०ए०स०इ० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य
सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे
उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से
अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा
परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त
अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संख्या के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य
वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को
अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी०बी०ए०स०इ०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं
की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम अदलपुर ताज, परगना,
तहसील व जिला अमरोहा में स्थित गाटा संख्या 231 / 1मि० क्षेत्रफल 0.1420ह०० एवं गाटा संख्या 231 / 2 क्षेत्रफल 1.2710ह००
कुल 02 किटा क्षेत्रफल 1.4130ह०० भूमि (विक्य पत्र के आधार पर) भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का
प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी
जायेगी। उक्त वर्णित गाटों के संबंध में धारा-143 उ०प्र०ज०वि० एवं भूव्यव० अधिनियम की कार्यवाही सक्षम न्यायालय से
करायी जाये।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था
द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो
राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(शिव शंकर सिंह)

आयुक्त

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
 - 2- शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 3- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
 - 4- जिलाधिकारी अमरोहा।
 - 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
 - 6- जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा।
- प्रबंधक, घनश्याम दास टण्डन सरस्वती विद्या मन्दिर कैलसा, अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रस्तर-10 के संबंध
में कार्यवाही सुनिश्चित कराकर वांछित अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

(शिव शंकर सिंह)

आयुक्त

जे०ए०/सी०बी०ए०स०इ० परमियन बॉट-०१
Ayjall Tandon
Manager
Ghanshyam Das Tandon
Saraswati Vidyा Mandir
Kailsa (Amroha)

PRINCIPAL
Ghanshyam Das Tandon
Saraswati Vidyā Mandir
Kailsa (Amroha)